



ऊर्जा और जल संबंधी शुल्क

आवासीय किरायेदारी के लिए

मकान मालिक या उनके एजेंट प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी वैधानिक शुल्क जैसे सीवरेज, काउंसिल रेट और आपातकालीन सेवा शुल्क को आगे किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं कर सकते हैं। अन्य सेवा शुल्कों के लिए किरायेदार की जिम्मेदारी हर प्रॉपर्टी के अनुसार अलग-अलग होती है।

पानी, बिजली और गैस शुल्क

पानी, गैस और बिजली के लिए दरों और शुल्क का भुगतान मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुए एग्रीमेंट (समझौते) के अनुसार किया जाना होता है। एग्रीमेंट न होने की स्थिति में, चीजों के उपभोग के स्तर के आधार पर दरें और शुल्क किरायेदार द्वारा चुकाए जाने होते हैं। हालांकि, अगर उपभोग को अलग से मीटर से नहीं मापा जाता है या दरें और शुल्क उपभोग के स्तर पर आधारित नहीं हैं, तो मकान मालिक वैधानिक शुल्क चुकाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अगर मकान मालिक/एजेंट, किरायेदार द्वारा खर्च किए गए किसी भी उपयोग शुल्क के इनवॉइस की प्रति इनवॉइस जारी होने के 30 दिनों के भीतर किरायेदार को उपलब्ध नहीं कराता है, तो किरायेदार को उसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मकान मालिक, प्रॉपर्टी से जुड़ी जल संरचना, उपकरण या अन्य एप्लाइंसिज़, फिटिंग्स या फिक्सचर्स में किसी खराबी के कारण होने वाले अत्यधिक जल उपयोग शुल्क के लिए जिम्मेदार होगा – जब तक कि किरायेदार ने मकान मालिक/एजेंट को ऐसी किसी खराबी के बारे में यथाशीघ्र सूचित कर दिया हो। इसमें किरायेदार की किसी कार्रवाई या चूक के कारण उत्पन्न दोष शामिल नहीं हैं।

मकान मालिक उस खराबी से जुड़े शुल्कों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो SA वाटर की जिम्मेदारी है।

इलेक्ट्रिसिटी एम्बेडेड नेटवर्क

मकान मालिक/एजेंट को किरायेदारों को नीचे बताई गई चीज़ों सहित यह बताना होगा कि उनकी बिजली एम्बेडेड नेटवर्क के माध्यम से आ रही है या नहीं:

- सामान्यतः किसी एम्बेडेड नेटवर्क में भाग लेने की प्रकृति, लाभ और संभावित परिणामों के बारे में जानकारी
- एम्बेडेड नेटवर्क के रिटेलर का विवरण, लागू बिजली शुल्क विवरण और रिटेलर की संपर्क जानकारी, ABN और वेबसाइट का पता
- मीटरिंग व्यवस्थाएँ और एम्बेडेड नेटवर्क में भाग लेने के संभावित शुल्कों के बारे में जानकारी
- एम्बेडेड नेटवर्क से उत्पन्न होने वाली किसी भी बंडल उपयोगिताओं के लिए प्रति किलोवाट घंटे की लागत आवंटन।

रेंटिंग और सौर ऊर्जा

मकान मालिक और किरायेदार एक ऐसा एग्रीमेंट (समझौता) कर सकते हैं, जिसके तहत किरायेदार नीचे दी गई चीज़ों को लगवाने के लिए कोई धन राशि देने का उत्तरदायी होगा:

- सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम
- सोलर हॉट वाटर सिस्टम
- सोलर बैटरी सिस्टम
- ऊपर बताई गई चीज़ों का कोई संयोजन
- ऊपर बताए गए सिस्टम से संबंधित कोई भी सहायक उपकरण।

न्यूनतम इफिशियन्सी स्टैंडर्ड (कुशलता मानक)

मकान मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाए या बदले जाने वाले उपकरण, फिटिंग्स या फिक्सचर्स न्यूनतम एनर्जी और वाटर इफिशियन्सी स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं।

यह ज़रूरी है कि नीचे दिए गए फिक्सचर्स की प्रवाह दर 9 लीटर प्रति मिनट से अधिक नहीं हो:

- शावर हैड्स
- रसोईघर, लांड्री में लगे कोल्ड वाटर टैप और सिंगल मिक्सचर टैप या बाथरूम में लगे सिंक या हाथ धोने के बेसिन

यह ज़रूरी है कि शौचालय में दोहरी फ्लश व्यवस्था हो और उसकी *वाटर इफिशियन्सी लेबलिंग स्टैंडर्ड एक्ट 2005 (Cth)* में उल्लिखित WELS स्कीम के अनुसार न्यूनतम 3-स्टार रेटिंग हो।

यह ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों की *ग्रीनहाउस एंड एनर्जी मिनिमम स्टैंडर्ड एक्ट 2012 (Cth)* के अनुसार न्यूनतम 3-स्टार रेटिंग हो तथा इलेक्ट्रिक या गैस वॉटर हीटर भी इस एक्ट का अनुपालन करते हों।

और अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए:

- किरायेदार सूचना संबंधी गाइड में अधिकार और दायित्व देखें
www.cbs.sa.gov.au/tenantinfo
- www.sa.gov.au/renting पर जाएं या 131 882 या www.cbs.sa.gov.au पर उपभोक्ता एवं व्यवसायिक सेवाओं से संपर्क करें
- स्ट्रेटा और सामुदायिक टाइटल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 1300 366 424 पर विधिक सेवा आयोग को कॉल करें या [स्ट्रेटा टाइटल कानूनी गाइड](#) देखें।

इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी केवल सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी सलाह और/या उपयुक्त आवासीय किरायेदारी कानून के संदर्भ के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।